

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या- File No. 5-312011-1-C (Vol-I) Dtd. 06-01-2022 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) और बढी दरों के अनुसार धनराशि को पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

sk
अधिसासी अभियंता अधिसाषी अभियंता
पी० एम० जी० एस० वाई० पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
खण्ड लो० नि० वि० सोनभद्र लोक निर्माण विभाग सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
sk
विभागाय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
रावठेसयंस - सोनभद्र